

CENTRAL COALFIELDS LIMITED,
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
LAND AND REVENUE DEPARTMENT
DARBHANGA HOUSE, RANCHI

Ref. No. GM (L&R)/Comp./Pub. Domain/23-24/397

Date: 15.6.2023

To,
The General Manager (Systems),
CCL, Ranchi.

Sub: - Publication of notice inviting objections, if any, against Compensation Proposed against land in CCL website in respect of Village Binglat & Kumrang Khurd of A&C Area

Dear Sir,

The competent authority has directed for issuance of public notice inviting objections, if any, in respect of all land Compensation proposals against acquired land.

In this regard, a notice, in respect of 09 (Nine) nos. such proposal relating to payment of Land Compensation to tenants of Village Binglat & Kumrang Khurd of A&C Area namely:


क्र. संख्या	रैयत का नाम	भूमि का प्रकार
1	देवधारी साव पिता स्व. रूपलाल साव	रैयती
2	देवधारी साव पिता स्व. रूपलाल साव	रैयती
3	शिवा साव पिता प्रतम साव	रैयती
4	देवन्ती देवी पति रामप्रीत साव, रीता देवी पति मुनीलाल साव एवं बुधनी देवी पति राजा साव	रैयती
5	भिखू तेली एवं अन्य पिता मंगल साव	रैयती
6	बोधन साव, जानकी साव, बेनी साव एवं हुलास साव पिता हेमन साव	रैयती
7	यदुनन्दन साव पिता छेदी साव	रैयती
8	पार्वती देवी पति यदुनन्दन साव	रैयती
9	बसंत कुमार पिता यदुनन्दन साव	रैयती

is enclosed herewith.

It is requested to kindly upload the same in the CCL website and the date of uploading the same may please be intimated to this office for further needful.

Encl: As above.

Yours faithfully


15/06/23
HOD (L&R),
CCL

Copy to: - Sri. Navnit Jha, Sr.Mgr. (Min.)

आम सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम : बिंगलात एवं कुमरांग खुर्द, थाना : टंडवा, थाना सं : 94 ; जिला - : चतरा, (झारखण्ड) के कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 (CBA (A&D) Act 1957), SO संख्या. 2832 (अ) दिनांक. 30.8.2017 एवं 1147(अ) दिनांक 14.03.2016 के तहत CCL के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि-मुआवजा के लिए दावा CCL के समक्ष पेश कि गयी है जिसका कि जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति/approval हेतु प्रक्रिया जारी है .आवेदक के अनुसार भू स्वामी का विवरण व भूमि मुआवजे की गणना की गई राशि इस प्रकार है।

क्र. संख्या	अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957	ग्राम	रैयत का नाम	भूमि का प्रकार	खाला सं०	प्लॉट सं०	दावित रकवा (एकड़ में)	प्रस्तावित मुआवजा राशि (रूपया में)	प्रस्तावित मुआवजा का आधार	
1	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	देवधारी साव पिता स्व. रूपलाल साव	रैयती	29	281	0.0650	58688.50	खतियान	
2	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	देवधारी साव पिता स्व. रूपलाल साव	रैयती	29	283	0.0450	40630.50		
3	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	शिवा साव पिता प्रतम साव	रैयती	29	281	0.2800	252812.00		
						29	283	0.3150	284413.50	
						कुल	0.5950	537225.50		
4	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	देवन्ती देवी पति रामप्रीत साव, रीता देवी पति मुनीलाल साव एवं बुधनी देवी पति राजा साव	रैयती	29	281	0.1850	167036.50	सेल डीड	
5	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	भिखू तेली एवं अन्य पिता मंगल साव	रैयती	20	288	1.3400	1209886.00	खतियान	
6	2832 (अ) दिनांक 30.08.2017	बिंगलात	बोधन साव, जानकी साव, बेनी साव एवं हुलास साव पिता हेमन साव	रैयती	16	289	0.2300	207667.00	सेल डीड	
7	1147(अ) दिनांक 14.03.2016	कुमरांग खुर्द	यदुनंदन साव पिता छेदी साव	रैयती	3	242	0.0800	72232.00	खतियान	
					3	248	0.1400	126406.00		
					3	249	0.0900	81261.00		
					3	322	0.4600	415334.00		
					3	299	0.0600	54174.00		
					3	82	0.0500	45145.00		
					3	336	0.2600	234754.00		
					3	363	0.1700	153493.00		
					3	229	0.2300	207667.00		
					3	186	0.0550	49659.50		
					कुल	1.5950	1440125.50			
8	1147(अ) दिनांक 14.03.2016	कुमरांग खुर्द	पार्वती देवी पति यदुनन्दन साव	रैयती	8	338	0.1975	178322.75	सेल डीड	
					8	360	0.1175	106090.75		
					कुल	0.3150	284413.50			
9	1147(अ) दिनांक 14.03.2016	कुमरांग खुर्द	बसंत कुमार पिता यदुनन्दन साव	रैयती	8	360	0.5866	529641.14	सेल डीड	

अगर उक्त विवरण ,दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से) 10दस(दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में कार्यालय परियोजना पदाधिकारी आम्नपाली परियोजना, कार्यालय महाप्रबंधक, आम्नपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष) भूमि एवं राजस्व, सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10(दस) दिनों के अंदर, इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)
सी.सी.एल, राँची

[Signature]
15/06/23

[Signature]
15/6/2023 @ak
15/6/23